अर्द्धशा0 डीजी परिपत्र संख्याः 46/ 2014

ए0एल0बनर्जी
भा.पु.से.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश,
1–तिलक मार्ग,लखनऊ
दिनांकःलखनऊःजुलाई 06 ,2014

प्रिय महोदय,

कृपया विभिन्न जनपदों के किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि किशोर अपचारीगणों के विरूद्ध प्रचलित वादों में न्यायालय द्वारा जो भी सम्मन गवाहान भेजे जाते हैं उनका पालन समुचित तरीके से नहीं हो रहा है। सम्मन तामील अथवा अदमतामील वापस न्यायालय प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में न्यायालयों द्वारा घोर आपत्ति व्यक्त की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि किशोर बच्चों के अधिकार,देखरेख एवं संरक्षण के सम्बन्ध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 एवं यथा संशोधित 2006 तथा केन्द्रीय नियमावली 2007 में निहित प्राविधान के अनुसार इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 11/2013 दिनांक 9.4.2013 द्वारा प्रत्येक जनपद में " **विशेष किशोर पुलिस इकाई**" की स्थापना किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं जिसमें विशेष किशोर पुलिस इकाई जनपद के सभी थानों में बाल कल्याण अधिकारी,बाल कल्याण समिति,किशोर न्याय बोर्ड ,जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, मान्यता प्राप्त एनजीओ के साथ समन्वय स्थापित करेगी।

अतः जनपद स्तर पर स्थापित " विशेष किशोर पुलिस इकाई " जनपद के सभी थानों में बाल कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड , जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, मान्यता प्राप्त एन0जी0ओ0 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए किशोर अपचारीगणों के विरूद्ध प्रचलित वादों में न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन वारन्ट का तामीला समय से कराते हुए उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाय तथा ऐसा न हो पाने की दशा में सम्मन अदम तामीला न्यायालय 30 दिवस के अन्दर वापस कर दिया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(ए0एल0बनर्जी) 6/7/14

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।